

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1800]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 5, 2013/श्रावण 14, 1935

No. 1800]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 5, 2013/SRAVANA 14, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2013

आय-कर

का.आ. 2363(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 195 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, '1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (12वां संशोधन) नियम, 2013 है ।
 - (2) ये 1 अक्तूबर, 2013 से प्रवृत्त होंगे ।
- 2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 37खख के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात :-
- "किसी अनिवासी, जो कंपनी नहीं है या किसी विदेशी कंपनी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा जानकारी देना:-
- **37खख** (1) किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को कोई संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति निम्नलिखित जानकारी देगा, अर्थात:-
- (i) प्ररूप सं. 15गक के भाग क में जानकारी, यदि संदाय की रकम पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है और वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए ऐसे संदायों का योग दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है;

- (ii) प्ररूप सं. 15गक के भाग ख में जानकारी, यदि संदाय पर कर प्रभार्य नहीं है और विनिर्दिष्ट सूची के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है;
- (iii) निम्नलिखित प्राप्त करने के पश्चात् खंड (i) और खंड (ii) में निर्दिष्ट संदायों से भिन्न संदायों के लिए प्ररूप सं. 15गक के भाग ग में जानकारी--
 - (क) धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार से प्ररूप सं. 15गख में प्रमाण पत्र ; या
 - (ख) धारा 197 के अधीन निर्धारण अधिकारी से प्रमाण पत्र ; या
 - (ग) धारा 195 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन निर्धारण अधिकारी से आदेश।
- (2) प्ररूप सं. 15गक में जानकारी आयकर विभाग द्वारा अभिहित वेबसाइट में इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाएगी और तत्पश्चात् उक्त प्ररूप का हस्ताक्षरित प्रिंटआउट संदाय प्रेषित करने से पूर्व प्राधिकृत व्यौहारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (3) आयकर प्राधिकारी प्राधिकृत व्यौहारी से अपेक्षा कर सकेगा कि वह अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए उपनियम (2) में निर्दिष्ट हस्ताक्षरित प्रिंट आउट प्रस्तुत करे ।
- (4) आयकर (प्रणाली) महानिदेशक, आंकड़ों को सुरक्षित रखने, उनके पारेषण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं प्ररूपों और मानकों को विनिर्दिष्ट करेगा और विनिर्दिष्ट रीति में जानकारी देने के संबंध में दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

स्पष्टीकरणः- इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

- (क) 'प्राधिकृत व्यौहारी' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 1 के अधीन प्राधिकृत व्यौहारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
- (ख) विनिर्दिष्ट सूची नीचे यथा उपदर्शित प्रकृति के संदायों के प्रति निर्देश है :-

विनिर्दिष्ट सूची

क्रम सं.	रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया	संदाय की प्रकृति					
	के अनुसार प्रस्तावित						
	कोड						
(1)	(2)	(3)					
1.	एस0001	भारतीय विदेशी विनिधान-साम्यापूंजी (अंश) में					
2.	एस0002	भारतीय विदेशी विनिधान -ऋण प्रतिभूतियों में					
3.	एस0003	भारतीय विदेशी विनिधान-शाखाओं और संपूर्ण रूप से					
		स्वामित्वाधीन समनुषंगियों में					
4.	एस0004	भारतीय विदेशी विनिधान- समनुषंगियों और सहयुक्तों में					
5.	एस0005	भारतीय विदेशी विनिधान-भू संपदा में में					
6.	एस0011	अनिवासियों को दिए गए ऋण					
7.	एस0101	आयात के लिए अग्रिम संदाय					
8.	एस0102	आयातों के मध्य संदाय-बीजक का अवस्थापन					
9.	एस0103	राजनयिक मिशनों द्वारा आयात					

10.	एस0201	भारत में कार्य कर रही विदेशी पोत कंपनियों द्वारा अधिशेष
		भाड़े या यात्री किराए के लिए संदाय
11.	एस0202	विदेश में कार्य कर रही भारतीय पोत कंपनियों के प्रचालित
		व्ययों के लिए संदाय
12.	एस0203	आयातों पर भाड़ा-पोत कंपनियां
13.	एस0204	निर्यातों पर भाड़ा-पोत कंपनियां
14.	एस0206	विदेशी यात्रा की बुकिंग-विदेशी कंपनियां
15.	एस0208	विदेश में कार्य कर रही भारतीय एयरलाइन कंपनियों के
10	ППОООО	प्रचालन व्यय
16.	एस0209	आयातों पर भाड़ा-एयरलाइन कंपनियां
17.	एस0212	विदेशी यात्रा की बुकिंग-एयरलाइन कंपनियां
18.	एस0213	नौभरक, डेमरेस, पत्तन हथालन प्रभार आदि के मद्दे संदाय
19.	एस0301	कारबार यात्रा के मद्दे प्रेषण
20.	एस0302	आधार यात्रा कोटा के अधीन यात्रा
21.	एस0303	तीर्थ के लिए यात्रा
22.	एस0304	चिकित्सा उपचार के लिए यात्रा
23.	एस0305	शिक्षा के लिए यात्रा (जिसके अंतर्गत फीस, छात्रावास, व्यय आदि भी है)
24.	एस0401	डाक सेवाएं
25.	एस0501	भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में विदेशी परियोजनाआं
25.	3410501	सन्निर्माण जिसके अंतर्गत परियोजना स्थल पर माल का
		निर्यात भी है
26.	एस0601	जीवन बीमा प्रीमियम के लिए संदाय
27.	एस0602	माल के आयात और निर्यात से संबंधित- भाड़ा बीमा
28.	एस0603	अन्य साधारण बीमा प्रीमियम
29.	एस1011	विदेशी कार्यालय के अनुरक्षण के लिए संदाय
30.	एस1201	विदेशी भारतीय दूतावासों का अनुरक्षण
31.	एस1202	भारत में विदेशी दूतावासों द्वारा प्रेषण
32.	एस1301	कुटुंब भरण पोषण और बचत के मद्दे अनिवासी द्वारा प्रेषण
33.	TTT 1000	व्यक्तिगत उपहार और दान के मद्दे प्रेषण
34.	एस1302	विदेशी धार्मिक और पूर्त संस्थानों को दान के मद्दे प्रेषण
35.	एस1304	अन्य सरकारी और सरकार द्वारा स्थापित पूर्त संस्थानों को
		अनुदान और दान के मद्दे प्रेषण
36.	एस1305	अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को सरकार द्वारा अभिदाय या दान
37.	एस1306	करों का संदाय या वापसी के मद्दे प्रेषण
38.	एस1501	निर्यात के मद्दे बीजक मूल्य में वापसी या छूट या कटौती
39.	एस1503	अंतर्राष्ट्रीय बोली के लिए निवासियों द्वारा संदाय" ।

^{3.} उक्त नियमों में, उपाबंध 2 में प्ररूप सं. 15गक और प्ररूप 15गख के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :-

	"रूप सं. 15गक	
आय-कर	(नियम 37खख देखिए)	
विभाग		अभि. सं.
	को संदाय के लिए दी जाने वाली जानकारी	

भाग क यदि प्रेषण पचास हजार रु. से अधिक नहीं है और वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए ऐसे प्रेषणों का संकलन दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है तो इसे भरा जाए

	T C	
1	प्रेषक का नाम	
प्रेषक	प्रेषक का पेन (यदि है)	
	प्रेषक का टेन (यदि है)	
	प्रेषक का पूरा पता, ई-मेल और दूरभाष संख्या	
	प्रेषक की प्रास्थिति	
	प्रेषण के प्राप्तकर्ता का नाम	
प्रिषेती	प्रेषण ण के प्राप्तकर्ता का पेन	
集	प्रेषण के प्राप्तकर्ता का पूरा पता, ई-मेल और दूरभाष संख्या	
	देश का नाम जिसमें प्रेषण होना है ।	
	टीडीएस जो पहले संदत्त राशि, यदि कोई है (भारतीय मुद्रा में)	
	इस प्रस्तावित प्रेषण सहित वित्तीय वर्ष में प्रेषण की संकलित राशि	
	बेंक का नाम	
†	बैंक की शाखा का नाम	
प्रेषण	प्रेषण की प्रस्तावित तारीख	
&	प्रेषण की प्रकृति	
	कृपया विनिर्दिष्ट करें यदि प्रेषण पर कोई कर प्रभार्य है या नहीं	
	यदि प्रेषण पर कर प्रभार्य है तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें	
}	यदि प्रेषण पर कोई कर प्रभार नहीं है तो कृपया इस पर विश्वास करने	
	के लिए संक्षिप्त कारण बताएं	

सत्यापन

में/हम*	(पूरा	नाम	स्पष्ट	अक्षरों	में),
जोका पुत्र/पुत्री					
हूँ/करते हैं कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे सर्वोच्च					
सुसंगत जानकारी छिपाई नहीं गई है । मैं/हम* आयकर	अधिनियम	ा के अ	धीन मेरे/हम	गरे दायि	त्व का
अवधारण करने के लिए अपेक्षित दस्तावेंजों सहित उपरोव	न्त प्रेषण	के प्राप्त	कर्ता की उ	गय की	प्रकृति

और रकम का अवधारण करने के लिए आयकर प्राधिकारियों को स्रोत पर कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

पदनाम:

*जो लागू न हो उसे काट दें।

- 1. यदि कर कटौती है तो आज्ञापक
- ². यदि कंपनी है तो 1 लिखें, यदि फर्म है तो 2 लिखें, यदि व्यष्टि है तो 3 लिखें और यदि अन्य है तो 4 लिखें
- ³. यदि प्रेषण पर कर प्रभार है तो पेन का न होना, धारा 206 कक के उपबंधां को आकर्षित करेगा ।
- 4. यदि उपलब्ध है।
- 5. यदि उपलब्ध है।

भाग ख

(यदि प्रेषण नियम 37 खख के स्पष्टीकरण में विनिर्दिष्ट सूची के अंतर्गत है और आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधां के अधीन कर प्रभार्य नहीं है तो भरा जाए)

	प्रेषक का नाम	
	प्रेषक का पेन	
प्रेषक	प्रेषक का टेन (यदि हो) ¹	
	प्रेषक का पूरा पता, ई-मेल और दूरभाष संख्या	
	प्रेषक की प्रास्थिति ²	
	प्रेषण के प्राप्तकर्ता का नाम	
	प्रेषण के प्राप्तकर्ता का पेन ³ , यदि हो	
प्रविती	प्रेषण के प्राप्तकर्ता का पूरा पता, ई-मेल और दूरभाष संख्या⁵	
本	जिस देश में प्रेषण किया जाएगा	
	प्रेषण का प्राप्तकर्ता ज़िस देश का निवासी हे, यदि हो	
	बेंक का नाम	बैंक की शाखा का नाम
प्रेषण	बैंक की शाखा बीएसआर कोड (7 अंकों का)	
*	प्रेषण की प्रस्तावित तारीख	दिन/मास/वर्ष
	प्रेषण की प्रकृति	
	कृपया नियम 37खख के नीचे दी गई विनिर्दिष्ट सूची का सुसंगत कोड बताएं जिसके अधीन प्रेषण हुआ है	

101 (2T) 13-2

2. मैं यह सत्यापित करता हूँ कि मुझे विश्वास करने का आधारा है कि उपरोक्त प्रेषण आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अधीन प्रभार्य नहीं है और स्रोत पर कर कटौती के लिए दायी नहीं है और अतः किसी लेखाकार से प्ररूप 15 गख में प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

सत्यापन

में/हम*	(पूरा न	नाम स्पष्ट	अक्षरों	में),
जोका पुत्र/पुत्री हूँ/है*	सत्यिन	नेष्टा से यह	घोषणा व	करता
हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी हमारे सर्वोत्तम ज्ञान	न और विश्व	ास से सही	है और	कोई
सुसंगत जानकारी नहीं छिपाई गई है । यदि जहां यह पाया उ	जाता है कि !	प्रेषण की रक	ज्म पर वा	ास्तव
में कटौती योग्य कर की कटौती नहीं की गई है या कटौती व	करने के पश्च	गत् पूर्ण रूप	से संदत्त	नहीं
की गई है तो मैं/हम यथास्थिति, कटौती किये गए या संदत्	नं किए गए व	कर की रकम	का, उर	न पर
शोध्य बयाज सहित संदाय करने का वचन देता हूँ/देते हूँ ।	मैं/हम आय	कर अधिनिय	म, 196 ⁻	1 के
उपबंधों के अनुसार उक्त व्यतिक्रम के लिए भी शास्ति के उ	उपबंधों के अ	धीन रहूगा/रह	हेंगे । मैं/	हम *
आयकर अधिनियम के अधीन मेरे/हमारे दायित्व का अवधार	रण करने के	लिए अपेि	भेत दस्ता	विजों
सहित उपरोक्त प्रेषण के प्राप्तकर्ता की आय की प्रकृति अं				
आयकर प्राधिकारियों को स्रोत पर कर की कटौती के लिए			रूप में र	समर्थ
बनाने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का वचन वे	देता हूं/देते हैं	1		

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख:

पदनाम:

*जो लागू न हो उसे काट दें।

^{1.} यदि कंपनी है तो 1 लिखें, यदि फर्म है तो 2 लिखें, यदि व्यष्टि है तो 3 लिखें और यदि अन्य है तो 4 लिखें

². उपलब्ध है।

³. उपलब्ध है।

भाग ग

(यदि प्रेषण आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन प्रभार्य है, या प्रेषण नियम 37 खख में विनिर्दिष्ट सूची के अंतर्गत नहीं है तो भरा जाए ।)

खंड	क			साधा	रण ज	ानकार्र	ते						
	प्रेषक	का नाम											
	thuse:	का पेन		7		1707		1 704		- Z		T == 3	
	ЯЧЧ	पंग पंग				एरिय	ा कोड	एआ	टाइप T	रज	कोड	एअ	सं.
	ক্রেড্রা	र का मूल स्थान			Ш.,	गेषक	का टेन	<u> </u>	1	lacksquare	- -	 	
प्रेषक		का पूरा पता, ई-मे	न्य और स्ट्राण	ग्रंका	 r	ячч	पग ८५			Ц	44		
1	L												
	प्रास्थि	ते □	कंपनी होने अतिरिक्त अन					है तो	"1"	लिखें	और	यदि ६ 🔲	गरेलू के
	प्रेषण	के प्राप्तकर्ता का न				<u>-</u>			प्रेषण	के प्र	ाप्तकर्ता	का पे	 न
								- }	-		TT	П	TT
4=	प्रास्थि	ते					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				, ľ.,l,,	!!	-
प्रेषिती	पता								जिस देश में प्रेषण किया गया है				
	कारबार का मूल स्थान ई-म			मेल पता			(आईएसडी कोड)- दूरभाष संख्या			संख्या			
L									()			
	(ক)) प्रमाण पत्र को हस्ताक्षरित करने वाले लेखाव			गर								
		का नाम				1			•				
!													
	(ख)	लेखाकार के स्वत	वधारी/फर्म का	नाम						 -			
कार	(ग)	पता			•								•
लेखाकार						}							
	(ঘ)	लेखाकार की रजिस्ट्रीकरण संख्या											
	(ঙ)	प्रमाण पत्र की ता			<u></u>		प्रमाण पत्र संख्या						
	` ,	(\\-		1
							v 	·····					
	(क)	क्या निर्धारण अधि					(चिन्ह)] हां		नहीं	
Ε:		की धारा 195(2)/			निको	\$,
आदेश	()	आदेश का प्रमाण											
ए.ओ.आदेश	(ख)	जिस धारा के अध किया गया है	ग्रान आदश/प्रमा	ाण पत्र	ਸ਼ਾਪ	}							
Þ.	(ग)	ाक्या गया ह आदेश/प्रमाण पत्र	जारी करने क	त्रे निध	ກົວເກ							Λ	
	(1)	अधिकारी का नाम		101 1710	11 \ ~1								
						1							

	(घ)	आदेश/प्रमाण पत्र की तारीख		
	(ड)		1	*
खंड			र की कटौती की विशिष्टियां (लेखाकार व	के प्रमाण पत्र के अनुसार)
	1.	जिस देश में प्रेषण किया गया है	देश:	मुद्रा :
	2.	संदेय रकम	विदेशी मुद्रा में :	भारतीय रु. में.
	3.	बैंक का नाम	बैंक की शाखा	
	4.	बैंक शाखा का बीएसआर कोड (7		
-		अंकों में)		
प्रेषण	5.	प्रेषण की प्रस्तावित तारीख	दिन/मास/वर्ष	
	6	प्रेषण की प्रकृति करार/दस्तावेज	=	
		के अनुसार		
	7.	यदि प्रेषण शुद्ध कर है तो क्या	(चिन्ह) □ हां□ नहीं	
		संदेय कर का योग किया गया है	_	
	8.	्र आयकर अधिनियम के उपबंधों के		
	0.	अधीन कराधेयता (डीटीएए पर		
		विचार किए बिना)		
		(i) क्या प्रेषण भारत में कर प्रभार्य	(चिन्ह) □ हां□ नहीं	
	- 1	है	# =	
आयकर अधिनियम		(ii) यदि नहीं तो कारण बताएं		
HEE		(iii) यदि हां तो,		antania Pranti
54 3		(क) अधिनियम की सुसंगत धारा	26	
गयव		जिसके अधीन प्रेषण आते हैं	*	
6		(ख) आय की रकम जिस पर कर		
		प्रभार्य है		
		(ग) कर प्रभार्य		
		(घ) कराधेय आय और कर दायित्व		
	_	निश्चित करने का आधार यदि आय भारत में कर प्रभर्य है		
b	9.	और डीटीएए के अधीन कोई राहत		
करा		का दावा किया गया है		
संबंध		(i) क्या प्रेषण के प्राप्तकर्ता से कर		
परिवजन (डीटीएए)		आवास प्रमाण पत्र लिया गया है	(चिन्ह) 🗆 हां 🗆 नहीं	
हर मा (क्षे		(ii) कृपया डीटीएए विनिर्दिष्ट करें	1 1	
प्रत्यक्ष कर परिवर्जन संबंधी करार (डीटीएए)		(ii) कृपया डीटीएए का सुसंगत		
Ř		अनुच्छेद विनिर्दिष्ट करें।	डीटीएए के अनुसार	
		ture e de exemple en les de de de les de de les de de les	संदाय की प्रकृति	

	(iii) डीटीएए के अनुसार कराधेय आय	भारतीय रुपए में	
	(iv) डीटीएए के अनुसार कर	भारतीय रुपए में	
	दायित्व	(*)	
	अ. यदि प्रेषण स्वामित्व, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस,	(चिन्ह) 🗌 हां 🗌 नहीं	
	ब्याज, लाभांश आदि (स्थायी		
	स्थापन से संबंधित न हो) उपदर्शित करें ।		
-	(क) डीटीएए का अनुच्छेद		
	(ख) अनुच्छेद के अंतर्गत जो डीटीएए को लागू होता है की	डीटीएए के अनुसार (%)	
	जाने वाली अपेक्षित स्रोत पर कर	a a	
	की कटौती की दर		
	आ. यदि प्रेषण कारबार की आय की बाबत है तो कृपया उपदर्शित	(चिन्ह) 🛚 हा 🖺 नहीं	
	करें :-	19.	
	(-) A-d one one it	(चिन्ह) 🛘 हां 🗎 नहीं	
	(क) क्या ऐसी आय भारत में कर प्रभार्य नहीं है	(।यन्ह्) । हा । नहा	
	() 0 .) 0 40		
	(ख) यदि हां तो कर की कटौती पर निश्चित करने का आधार	83	
		'	
	(ग) यदि नहीं तो कृपया डीटीएए के सुसंगत अनुच्छेद को विनिर्दिष्ट	E)	
	करते हुए संक्षिप्त में उसके कारण	÷ g	
	बताएं।	/ चिन्हो ∏ इं ∏ नहीं	
	इ. यदि प्रेषण पूंजी अभिलाभ के कारण है तो कृपया उपदर्शित करें	(14-8) [81 [1-16]	
2	:-		
5	(क) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की रकम		
21175	(ख) अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ		
0	की रकम (ग) कराधेय आय निर्धारित करने		
7	का आधार		

3401 GELLIZ

				7 A
		ई. उन प्रेषण के मामले में जो	(चिन्ह) 🗆 हां 🗎 नहीं	· 图1000 / 1000
1	}	उपमदं अ,आ और इ के अंतर्गत न	207	
1		आते हों		
1	1.71	(क) प्रेषण की प्रकृति को कृपया		
		विनिदिष्ट करें		
		(ख) डीटीएए के अनुसार भारत में		
		कर प्रभार्य है		
		(ग) यदि हां, तो लागू डीटीएए के		
	ĺ	ऐसे अनुच्छेद के निबंधनों के	# 2	
		अनुसार कदौती किए जाने के		
		लिए अपेक्षित टीडीएस की दर	8	。""就要我是在这一个。" "
		1	A.	
		(घ) यदि नहीं, तो कृपया डीटीएए		
		के सुसंगत अनुच्छेद को विनिर्दिष्ट	et e	
		करते हुए उसके संक्षिप्त कारण		
	Ģ	बताएं	9	
	10.	स्रोत पर कर कटौती की रकम	विदेशी मुद्रा में	Althornau Anna Canada
			भारतीय रुपए में	
恒	11.	प्रत्यक्ष कर कटौती की दर	आयकर अधिनियम के अनुसार (%)	
किर्दे			या .	
प्रत्यक्ष कर कटौती			डीटीएए के अनुसार (%)	
뫮	12.	प्रत्यक्ष कर कटौती के बाद प्रेषण	विदेशी मुद्रा में	
NA.		की वास्तविक रकम		
	13.	स्रोंत पर कर कटौती की तारीख,	(दिन/मास/वर्ष)	
		यदि कोई हो		

सत्यापन

1. मैं/हम*	 (पुर	। नाम स्पष्ट अक्ष	रों में). र	जो	 का पत्र	1/पत्री
हॅं∕है						
सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से स						

- 2. मैं/हम* यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि लेखाकार से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है जिसकी विशिष्टियां इस प्ररूप में, रकम स्रोत पर कर की कटौती की प्रकृति और सत्यता को प्रमाणित करते हुए दी गई है । मैं/हम* आयकर अधिनियम की धारा 195(2)/105(3)/197 के अधीन दिया गया प्रमाण पत्र/आदेश जिसकी विशिष्टियां इस प्ररूप में दी गई है, को प्रमाणित करते हैं।
- 3. यदि जहां यह पाया जाता है कि प्रेषण की रकम पर वास्तव में कटौती योग्य कर की कटौती नहीं की गई है या कटौती करने के पश्चात पूर्ण रूप से संदत्त नहीं की गई है तो मैं/हम* यथास्थिति, कटौती किये गए या संदत् न किए गए कर की रकम का, उस पर शोध्य बयाज सहित संदाय करने का वचन देता हूँ/देते हूँ । मैं/हम* आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार उक्त व्यतिक्रम के लिए भी शास्ति के उपबंधों के अधीन रहूगा/रहेंगे ।
- मैं/हम* आयकर अधिनियम के अधीन मेरे/हमारे दायित्व का अवधारण करने के लिए अपेंक्षित दस्तावेजों सहित उपरोक्त प्रेषण के प्राप्तकर्ता की आय की प्रकृति और रकम का अवधारण करने के लिए आयकर प्राधिकारियों को स्रोत पर कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का वचन देता हं/देते हैं।
- 5. मैं/हम* आगे यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम*----की हैसियत में यह जानकारी दे रहा हूँ/रहे हैं और मैं*/हम आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 140 के उपबंधों के अनुसार आय की विवरणी को हस्ताक्षरित करने तथा उसे सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ/हैं ।

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीख: पदनाम:

* जो लागू न हो उसे काट दें ।	
कार्यालय उपयोग के लिए	सिर्फ कार्यालय उपयोग हेतु
	रसीद सं.
	तारीख
	पदधारी के हस्ताक्षर और मुहर

- 1. यदि यदि टेन के लिए आवेदन किया है तो आवेदन की अभिस्वीकृति सं. दीजिए ।
- 2. यदि कंपनी है तो 1 लिखें, यदि फर्म है तो 2 लिखें, यदि व्यष्टि है तो 3 लिखें और यदि अन्य है तो 4 लिखें
- 3. यदि पेन (स्थायी लेखा संख्या) उपलब्ध नहीं है तो, धारा 206अअ के उपबंध लागू होंगे ।
- 4. यदि कंपनी है तो 1 लिखें, यदि फर्म है तो 2 लिखें, यदि व्यष्टि है तो 3 लिखें और यदि अन्य है तो 4 लिखें ।
- 5. लेखाकार (कर्मचारी से भिन्न) का वहीं अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288 के स्पष्टीकरण में परिभाषित है।
- 6. कृपया लेखाकार के प्रमाण पत्र में उपदर्शित क्रम संख्या भरें ।

प्ररूप सं. 15गख (नियम 37खख देखें) लेखाकार का प्रमाण पत्र

मेंने/हमने* श्री/श्रीमती /मैसर्स	और श्री/श्रीमती/मैसर्स*
हिताधिकारी के बीच उपरोक्त प्रेषण प्रेषक की अपेक्षा	नुसार करार प्रेषकः (जहां लागू हो) की परीक्षा
की है । प्रेषण की प्रकृति प्रेषक को सुनिश्चित करने	के लिए अपेक्षित सुसंगत दस्तावेजों और लेखा
बहियों के साथ-साथ चार्टर 17-आ के उपबंधों के	अनुसार स्रोत पर कर कटौती की दर का
अवधारण करने के लिए परीक्षा कर ली है।	

हम निम्नलिखित को प्रमाणित करते हैं :-

हम ।न	म्नालाख	न का प्रमाणित करत ह :-			
	प्रेषण	के हिताधिकारी का नाम और			
अ.	पता				
आ.	1.	जिस देश में प्रेषण किया गया	देश:	मुद्रा:	
		है			
	2.	संदेय रकम	विदेशी मुद्रा में :		भारतीय रु.
	3.	बैंक का नाम	बैंक की शाखा		में.
	4	बैंक की शाखा का बीएसआर			
		कोर्ड (7 अंकों में)			
	5.	प्रेषण की प्रस्तावित तारीख	दिन/मास/वर्ष		
	6.	करार/दस्तावेज के अनुसार			
	L	प्रेषण की प्रकृति		_	
	7.	यदि प्रेषण शुद्ध कर है तो क्या			
		संदेय कर का योग किया गया			†
	हे				
	8. आयकर अधिनियम के उपबंधों				
		के अधीन कराधेयता (डीटीएए			,
		पर विचार किए बिना)		~ C .	
		(i) क्या प्रेषण भारत में कर	(चिन्ह) 🗌 हां 🗌 न	हा	
		प्रभार्य है			
		(ii) यदि नहीं तो कारण			
		बताएं			
		(iii) यदि हां तो,			
	, .	(क) अधिनियम की सुसंगत			
		धारा जिसके अधीन प्रेषण आते			
		हैं			- 1
		(ख) आय की रकम जिस पर			

	कर प्रभार्य है		
	(ग) कर प्रभार्य		
	(घ) कराधेय आय और कर		
	दायित्व निश्चित करने का		
	आधार		
9.	यदि आय भारत में कर प्रभर्य		
	है और डीटीएए के अधीन		
	कोई राहत का दावा किया		
	गया है		
	(i) क्या प्रेषण के प्राप्तकर्ता से	(चिन्ह) 📙 हां 📙 नहीं	
	कर आवास प्रमाण पत्र लिया		
	गया है		
	(ii) कृपया डीटीएए विनिर्दिष्ट		
	करें		
	(ii) कृपया डीटीएए का		
	सुसंगत अनुच्छेद विनिर्दिष्ट करें	डीटीएए के अनुसार	
		संदाय की प्रकृति	
	(iii) डीटीएए के अनुसार	भारतीय रुपए में	
	कराधेय आय		
	(iv) डीटीएए के अनुसार कर	भारताय रुपए म	
	दायित्व	(6) [6	
	अ. यदि प्रेषण स्वामित्व,	(चिन्ह) 🗆 हा 🗆 नहा	
	तकनीकी सेवाओं के लिए		
	फीस, ब्याज, लाभांश आदि	3	
	(स्थायी स्थापन से संबंधित न		
	हो) उपदर्शित करें । (क) डीटीएए का अनुच्छेद		
	(ख) अनुच्छेद के अंतर्गत जो	डीटीएए के अनुसार (%)	
	डीटीएए को लागू होता है की	डाटाएए क अनुसार (70)	
	जाने वाली अपेक्षित स्रोत पर		
	कर की कटौती की दर		
	आ. यदि प्रेषंण कारबार की	(चिन्ह) हां नहीं	
	आय की बाबत है तो कृपया	8 4	
	उपदर्शित करें :-		
	(क) क्या ऐसी आय भारत में	(चिन्ह) 🗌 हां 🗌 नहीं	

	कर प्रभार्य नहीं है		
	वित्रभाष ग्लाह		
•	(ख) यदि हां तो कर की		,
	कटौती पर निश्चित करने का		:
	आधार		
	(-) -0 -0 -2		
	(ग) यदि नहीं तो कृपया		
	डीटीएए के सुसंगत अनुच्छेद		 .i
	को विनिर्दिष्ट करते हुए	·	
	संक्षिप्त में उसके कारण बताएं		
į	इ. यदि प्रेषण पूंजी अभिलाभ	(चिन्ह) 🛘 हां 🗘 नहीं	
	के कारण है तो कृपया		
	उपदर्शित करें ।:-		
	(क) दीर्घकालिक पूंजी		
	अभिलाभ की रकम		
	(ख) अल्पकालिक पूंजी	·	
	अभिलाभ की रकम		}
	(ग) कराधेय आय निर्धारित		į
ļ	करने का आधार		
	ई. उन प्रेषण के मामले में	(चिन्ह) 🗆 हां 🗆 नहीं	
	जो उपमद अ,आ और इ के		
	अंतर्गत न आते हों		
	(क) प्रेषण की प्रकृति को		
	कृपया विनिदिष्ट करें		1
	(ख) डीटीएए के अनुसार		'
ļ	भारत में कर प्रभार्य है		
Ì	(ग) यदि हां, तो लागू डीटीएए		
	के ऐसे अनुच्छेद के निबंधनों		
	के अनुसार कटौती किए जाने		
	के लिए अपेक्षित टीडीएस की	•	
	दर	,	
İ	ı		
	(घ) यदि नहीं, तो कृपया		
Ì	डीटीएए के सुसंगत अनुच्छेद		
İ	को विनिर्दिष्ट करते हुए उसके		e
	संक्षिप्त कारण बताएं	ŕ	

10.	प्रत्यक्ष कर कटौती की रकम	विदेशी मुद्रा में
		भारतीय रुपए में
11.	प्रत्यक्ष कर कटौती की दर	आयकर अधिनियम के अनुसार (%)
		या डीटीएए के अनुसार (%)
12.	प्रत्यक्ष कर कटौती के बाद प्रेषण की वास्तविक रकम	विदेशी मुद्रा में
13.	स्रोंत पर कर कटौती की तारीख, यदि कोई हो	(दिन/मास/वर्ष)

	122	 	
प्रमाण पत्र	सं ² .		

हस्ताक्षर:

नाम ;

स्वत्वधारी/फर्म का नाम पताः रजिस्ट्रीकरण सं.

[अधिसूचना सं. 58/2013/फा. सं. 149/119/2012-एसओ (टीपीएल)]

जे. सारावनन, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार आय-कर (11वां संशोधन) नियम, 2013 अधिसूचना सं. का.आ. 2331(अ), तारीख 1-8-2013 द्वारा संशोधित किए गए।

¹. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 299 के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार (कर्मचारी से भिन्न) द्वारा हस्ताक्षरिति और सत्यापित किया जाएगा ।

^{2.} प्रमाण पत्र सं. जो एक आंतरिक संदर्भ संख्या है जो लेखाकार द्वारा दिया जाना है।

^{3.} जो लागू न हो उसे काट दें "।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2013

INCOME-TAX

S.O. 2363(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 195 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Income-tax (12th Amendment) Rules, 2013.
 - (2) They shall come into force on the 1st day of October, 2013.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereafter referred to as the said rules), for rule 37BB, the following rule shall be substituted, namely:-

"Furnishing of information by the person responsible for making payment to a non-resident, not being a company, or to a foreign company

- 37BB. (1) The person responsible for making any payment to a non-resident, not being a company, or to a foreign company shall furnish the following, namely:-
- (i) the information in Part A of Form No.15CA, if the amount of payment does not exceed fifty thousand rupees and the aggregate of such payments made during the financial year does not exceed two lakh fifty thousand rupees;
- (ii) the information in Part B of Form No.15CA, if the payment is not chargeable to tax and is of the nature specified in column (3) of the specified list;
- (iii) the information in Part C of Form No.15CA for payments other than the payments referred in clause (i) and clause (ii) after obtaining—
 - (a) a certificate in Form No. 15CB from an accountant as defined in the *Explanation* below sub-section (2) of section 288; or
 - (b) a certificate from the Assessing Officer under section 197; or

- (c) an order from the Assessing Officer under sub-section (2) or sub-section (3) of section 195.
- (2) The information in Form No. 15CA shall be furnished by the person electronically to the website designated by the Income-tax Department and thereafter signed printout of the said form shall be submitted to the authorised dealer, prior to remitting the payment.
- (3) An income-tax authority may require the authorised dealer to furnish the signed printout referred to in sub-rule (2) for the purposes of any proceedings under the Act.
- (4) The Director General of Income-tax (Systems) shall specify the procedures, formats and standards for ensuring secure capture, transmission of data and shall also be responsible for the day-to-day administration in relation to furnishing the information in the manner specified.

Explanation.— For the purposes of this rule,—

- (a) 'authorised dealer' means a person authorised as an authorised dealer under subsection (1) of section 10 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);
- (b) the specified list refers to the payments of the nature as indicated below:

SPECIFIED LIST

Sl. No. (1)	Purpose code as per RBI (2)	Nature of payment (3)
1	S0001	Indian investment abroad -in equity capital (shares)
2	S0002	Indian investment abroad -in debt securities
3	S0003	Indian investment abroad -in branches and wholly owned subsidiaries
4	S0004	Indian investment abroad -in subsidiaries and associates
5	S0005	Indian investment abroad -in real estate
6	S0011	Loans extended to Non-Residents
7	S0101	Advance payment against imports
8	S0102	Payment towards imports- settlement of invoice
9	S0103	Imports by diplomatic missions
10	S0201	Payments for surplus freight or passenger fare by foreign shipping companies operating in India.
11	S0202	Payment for operating expenses of Indian shipping companies operating abroad.
12	S0203	Freight on imports – Shipping companies
13	S0204	Freight on exports - Shipping companies
14	S0206	Booking of passages abroad – Shipping companies
15	S0208	Operating expenses of Indian Airlines companies operating abroad

16	S0209	Freight on imports – Airlines companies
17	S0212	Booking of passages abroad – Airlines companies
18	S0213	Payments on account of stevedoring, demurrage, port handling charges etc.
19	S0301	Remittance towards business travel.
20	S0302	Travel under basic travel quota (BTQ)
21	S0303	Travel for pilgrimage
22	S0304	Travel for medical treatment
23	S0305	Travel for education (including fees, hostel expenses etc.)
24	S0401	Postal services
25	S0501	Construction of projects abroad by Indian companies including import of goods at project site
26	S0601	Payments for life insurance premium
27	S0602	Freight insurance - relating to import and export of goods
28	S0603	Other general insurance premium
29	S1011	Payments for maintenance of offices abroad
30	S1201	Maintenance of Indian embassies abroad
31	S1202	Remittances by foreign embassies in India
32	S1301	Remittance by non-residents towards family maintenance and savings
33	S1302	Remittance towards personal gifts and donations
34	S1303	Remittance towards donations to religious and charitable institutions abroad
35	S1304	Remittance towards grants and donations to other governments and charitable institutions established by the governments.
36	S1305	Contributions or donations by the Government to international institutions
37	S1306	Remittance towards payment or refund of taxes.
38	S1501	Refunds or rebates or reduction in invoice value on account of exports
39	S1503	Payments by residents for international bidding".

^{3.} In the said rules, in Appendix-II, for Form No.15CA and Form No. 15CB, the following Forms shall be substituted, namely:-

	"FORM NO. 15CA (See rule 37BB)	
Income-Tax Department	Information to be furnished for payments to a non-resident not being a company, or to a foreign company	Ack. No.

Part A

(To be filled up if the remittance does not exceed fifty thousand rupees and the aggregate of such remittances made during the financial year does not exceed two lakh fifty thousand rupees)

	N		
	Name of remitter	i	
E	PAN of the remitter (if available) ¹		
REMITTER	TAN of the remitter (if available)		= =
REI	Complete address, email and phone number of the remitter		
	Status of remitter ²		
ш	Name of recipient of remittance		
目	PAN of the recipient of remittance, if available ³		
REMITTEE	Complete address, email ⁴ and phone number ⁵ of the recipient of remittance		
2	Country to which remittance is made		
	Amount payable before TDS, if any (In Indian Currency)		
	Aggregate amount of remittance made during the financial year including this proposed remittance		
	Name of bank		
REMITTANCE	Name of the branch of the bank		
T.	Proposed date of remittance		
TIM.	Nature of remittance		
REI	Please specify whether the remittance is chargeable to tax or not?		
	If the remittance is chargeable to tax, please furnish the following: (a) Amount of tax deduction (b) Date of deduction		
	If the remittance is not chargeable to tax, please furnish brief reasons for believing so		

VERIFICATION

I/We*,		(full name in block letters), son/daughter of	in th
capacity of	(designation) soler	mnly declare that the information given above is true	to the best of my
requisite docum recipient of the	ents for enabling the inc	information has been concealed. I/We* further under come-tax authorities to determine the nature and amount I as documents required for determining my liability un to of tax at source.	nt of income of th
	35.		
Place:		Signature:	
Date:	91	Designation:	
* Delete whichever	is not applicable.	-1 (d)	

^{1.} Mandatory if tax is deducted

Mandatory it tax is deducted
 Write 1 if company, write 2 if firm, write 3 if individual and write 4 if others.
 If the remittance is chargeable to tax, non-furnishing of PAN shall attract the provisions of section 206AA

⁴ If available
5 If available

Part B

(To be filled up if the remittance is covered by the Specified List given in *Explanation* to rule 37BB and not chargeable to tax under the provision of Income-tax Act 1961.)

	Name of the remitter								
REMITTER	PAN of the remitter								
	TAN of the remitter (if available)								
	Complete address, email and phone number of the rer	nitter							
	Status of remitter ¹								
B	Name of recipient of remittance		64						
	PAN of the recipient of remittance, if available								
REMITTEE	Complete address, email ² and phone number ³ of the recipient of remittance								
E.	Country to which remittance is made	1							
	Country of which the recipient of remittance is resident								
	Name of the bank	Name of the branch of	of the bank						
ш	BSR code of the bank branch (7 digit)								
REMITTANCE	Proposed date of remittance	(DD/MM/YYYY)							
TIM	Nature of remittance								
RE	Please furnish the relevant code of the specified List r	nentioned below rule							
	37BB, under which the remittance is covered								
	ne-tax Act 1961 and is not liable for deduction of tax at ecountant in form 15CB. VERIFICA		pes not require a certificate from						
	VERIFICA	TION							
I/We	*, (full name in bloc	k letters), son/daughter	of in the						
capac			given above is true to the best of						
my/our* knowledge and belief and no relevant information has been concealed. In a case where it is found that tax actually deductible on the amount of remittance has not been deducted or after deduction has not been pai									
not p	aid in full, I/We* undertake to pay the amount of tax n	ot deducted or not paid	, as the case may be, along with						
intere	est due. I/We* shall also be subject to the provisions of	penalty for the said def	fault as per the provisions of the						
Incon	ne-tax Act, 1961. I/We* further undertake to submi-	the requisite documer	nts for enabling the income-tax						
autho	rities to determine the nature and amount of income	of the recipient of th	ne above remittance as well as						
docur	ments required for determining my/our* liability un	der the Income-tax A	ct as a person responsible for						
	ction of tax at source.								
	Place:	Signature: Designation:							

* Delete whichever is not applicable.

Write 1 if company, write 2 if firm, write 3 if individual and write 4 if others.

If available.

Part C

(To be filled up if the remittance is chargeable to tax under the provision of Income-tax Act, 1961 or the remittance is not covered by the Specified List given in *Explanation* to rule 37BB.)

Sect	ion			(GEN	ERA.	LINE	ORMA	TION							
		Na	me of the remitter													
		PA	N of remitter		T	T		Area	Code	AO T	уре	Rang	ge Code	A	O No	
rer												Щ			\Box	
		Principal Place of Business						TAN	of remitte	r'						
REMITTER		Complete address, email and phone number of the remitter													-	
		Status ⁱⁱ In case of company - If domestic, write '1' and if other than do								than don	nestic,	write '2'			l	
		Na	me of recipient of remittance		\neg						PANO	of recipient of remittanceiii,				
	- 1		ne of recipions of remissance		- 1	1						Tecipi	T T	1	1	Ŧ
JEE		Statusiv														
	ł	Δd	dress	_	_	Course						try to which remittance is made:				
REMITTEE	1	Au	uress			Cour						ary to which reintitudes is made.				
		Pri	ncipal place of business	E	mail	addre	SS				(ISD co	de)-Ph	one Nun	iber		
	\dashv	(-)	N	41							()					
		(a)	Name of the Accountant ^v signing	tne c	ertili	cate										
		(b) Name of the proprietorship/firm of the accountant														
IN	ı	(c)	Address			-116										
NT/																
ACCOUNTANT																
AC		(d) Registration no. of the accountant														
		(e)	Date of certificate (DD/MM/YY	YY)					Certificat	te No.vi						
		(a) Whether any order/certificate u/s 195(2)/195(3)/197 of (Tick) Yes								Yes [No					
ORDER		Income-tax Act has been obtained from the Assessing Officer.														
)RI	Ì	(b) Section under which order/certificate has been obtained														
	1	(c) Name and designation of the Assessing Officer who issued														
A.O.			the order/certificate													
<	-	(d)	Date of order/certificate													
		(e) Order/ certificate number PARTICULARS OF REMITTANCE AND TDS (as per certificate of the ac								0.1	- 1 1		-			
Secti	_	В						DS (a	s per certif	icate of	the acco				2	
	1.	_	Country to which remittance is ma		Country:						Currency: In Indian Rs.					
	2.	_	Amount payable					rrency:			-	In Ind	ian Ks.	-	-	_
CE	3.	_	Name of the Bank		В	ranch	of the	Bank			4				_	_
Z	4.	-	BSR Code of the bank branch (7 di	git)	-	22.4	2 (7 (7	770								
E	5.	-	Proposed date of remittance			DD/M	M/Y	(YY)								×
REMITTANCE	6		Nature of remittance as per agree document	ement												
RE	7.	\dashv	In case the remittance is net of	taves	10	Tick)		Yes	П №	75						
			whether tax payable has been g			i ick)		☐ 1 ¢3	□							
			up?	. 0000												
	8.		Taxability under the provisions of	the	1											
1			Income-tax Act (without considering		1						- 1					
			DTAA)	500							1					
			(i) is remittance chargeable to tax i	n	(Tick)		Yes	☐ No							
CT			India													
I.T.AC			(ii) if not reasons thereof		1									8		
1.1			(iii) if yes,													
			(a) the relevant section of the Act which the remittance is covered	unde	r											
		+	(b) the amount of income charges	able to	,										- n	at it was
			tax								- 1				16.	10

=				
		(c) the tax liability		
		(d)basis of determining taxable income and tax liability	e le	
	9.	If income is chargeable to tax in India		
		and any relief is claimed under DTAA- (i) whether tax residency certificate is	(Tick) Yes No	E 2515 N O 1 00
		obtained from the recipient of remittance		- 4
		(ii) please specify relevant DTAA		
		(ii) please specify relevant article of		
		DTAA	Nature of payment as per DTAA	
		(iii) taxable income as per DTAA	In Indian Rs.	er e e e e e e
		(iv) tax liability as per DTAA	In Indian Rs.	
		A. If the remittance is for royalties, fee for technical services, interest, dividend,	(Tick) Yes No	
		etc,(not connected with permanent	*	
		establishment) please indicate:- (a) Article of DTAA		
		(b) Rate of TDS required to be deducted in terms of such article of the applicable	As per DTAA (%)	
		DTAA		
		B. In case the remittance is on account of business income, please indicate:-	(Tick) Yes No	
				1 12
DTAA		(a) Whether such income is liable to tax in India	(Tick) Yes No	
Ď		(b) If so, the basis of arriving at the rate of deduction of tax.		and the second
		15 - 15 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 -		- '
		(c) If not, please furnish brief reasons thereof specifying relevant article of DTAA	*/	
		C. In case the remittance is on account of capital gains, please indicate:-	(Tick) Yes No	
		(a) amount of long term capital gains		
		(b) amount of short-term capital gains		
		(c) basis of arriving at taxable income		
		D. In case of other remittance not	(Tick) Yes No	
		covered by sub-items A,B and C		
		(a) Please specify nature of remittance		
		(b) Whether taxable in India as per DTAA		
		(c) If yes, rate of TDS required to be deducted in terms of such article of the applicable DTAA		
		(d) if not, please furnish brief reasons thereof specifying relevant article of DTAA	*	
	10.	Amount of tax deducted at source	In foreign currency In Indian Rs.	8 2
	11.	Rate of TDS	As per Income-tax Act (%)	
TDS			or As per DTAA (%)	
	12.	Actual amount of remittance after TDS	In foreign currency	
	13.	Date of deduction of tax at source, if any	(DD/MM/YYYY)	

VERIFICATION

1.	I/We*,	(full nar	ne in block letters), son/daughter of
	1 20 1000000 - 00 1		designation) solemnly declare that the
		above is true to the best of my/our* k	nowledge and belief and no relevant
informa	tion has be	en concealed.	
certify to of which 3. been de amount subject	this Form hat certific are given In case we ducted or of tax not	rtify that a certificate has been obtained from certifying the amount, nature and correctne ate/order under section 195(2)/195(3)/197 of in this Form*. There it is found that the tax actually deduction after deduction has not been paid or not padeducted or not paid, as the case may be alory isions of penalty for the said default as per	ess of deduction of tax at source./ I/We* of the Income-tax Act, 1961, particulars ble on the amount of remittance has not aid in full, I/We* undertake to pay the ng with interest due. I/We* shall also be
1961.			
well as person r 5. and I/w	ties to dete documents esponsible I/We* fur e* am/are*	ther undertake to submit the requisite do remine the nature and amount of income of the required for determining my/our liability for deduction of tax at source. There declare that I/we* am/are* furnishing the also competent to sign the return of income 261 and verify it.	the recipient of the above remittance as under the Income-tax Act, 1961 as a this information in my/our* capacity as
Place	:	Signature:	
Date		Designation:	
* Delete	whichever is	not applicable.	
For Office	Use only		For Office Use Only
	and the state of t		Receipt No.
			Date
			Seal and Signature of receiving official

In case TAN is applied for, please furnish acknowledgement number of the application.

ii Write 1 if company, Write 2 if firm, Write 3 if individual and Write 4 if others.

iii In case of non-availability of PAN, provisions of section 206AA shall be applicable.

iv Write 1 if company, Write 2 if firm, Write 3 if individual and Write 4 if others.

^v Accountant (other than an employee) shall have the same meaning as defined in the Explanation to Section 288 of Income-tax Act, 1961.

vi Please fill the serial number as mentioned in the certificate of the accountant.

have

examined

the

(wherever

applicable)

between

Form No. 15CB (See rule 37BB) Certificate of an accountant¹

agreement

uirin asce	(Remitters) g the above remittance as well as ertaining the nature of remittance as per provisions of Charter- XVII-	the relevant documents a and for determining the	Beneficiary) nd books of account req
	eby certify the following:-		
	ne and address of the beneficiary of the trance		
1.	Country to which remittance is made	Country:	Currency:
2.	Amount payable	In foreign currency:	In Indian Rs.
3.	Name of the bank	Branch of the bank	
4.	BSR Code of the bank branch (7 digit)		
5.	Proposed date of remittance	(DD/MM/YYYY)	
6	Nature of remittance as per agreement/ document		
7.	In case the remittance is net of taxes, whether tax payable has been grossed up?	(Tick) Yes No	
8.	Taxability under the provisions of the Income-tax Act (without considering DTAA) (i) is remittance chargeable to tax in India	(Tick) Yes No	§
	(ii) if not reasons thereof		
	(iii) if yes,(a) the relevant section of the Act under which the remittance is covered		
	(b) the amount of income chargeable to tax		
	(c) the tax liability		
	(d)basis of determining taxable income and tax liability		
9.	If income is chargeable to tax in India and any relief is claimed under DTAA- (i) whether tax residency certificate is obtained from the recipient of remittance (ii) please specify relevant DTAA	(Tick) Yes No	
	Carpenso special following Differ		
	(ii) please specify relevant article of DTAA	Nature of payment as per DTAA	
	(iii) taxable income as per DTAA	In Indian Rs.	
	(iv) tax liability as per DTAA	In Indian Rs.	
	A.If the remittance is for royalties, fee for technical services, interest, dividend, etc,(not connected with permanent establishment) please indicate:-	(Tick) Yes No	

	(a) Article of DTAA		
	(b) Rate of TDS required to be deducted in terms of such article of the applicable DTAA	As per DTAA (%)	
	B. In case the remittance is on account of business income, please indicate:-	(Tick) Yes No	
	(a) Whether such income is liable to tax in India	(Tick) Yes No	
	(b) If so, the basis of arriving at the rate of deduction of tax.		
	(c) If not, the please furnish brief reasons thereof. specifying relevant article of DTAA		
	C. In case the remittance is on account of capital gains, please indicate:-	(Tick) Yes No	18 IV
	(a) amount of long term capital gains		4 2
	(b) amount of short-term capital gains		- 7
	(c) basis of arriving at taxable income		
	D. In case of other remittance not covered by sub-items A,B and C	(Tick) Yes No	- 3
	(a) Please specify nature of remittance (b) Whether taxable in India as per DTAA		
	(c) If yes, rate of TDS required to be deducted in terms of such article of the applicable DTAA		
	(d) if not, the please furnish brief reasons thereof, specifying relevant article of DTAA		
10.	Amount of TDS	In foreign currency In Indian Rs.	
11	Rate of TDS	As per Income-tax Act (%) or	
12	Actual amount of remittance after TDS	As per DTAA (%) In foreign currency	7 7 1
13.	Date of deduction of tax at source, if any	(DD/MM/YYYY)	
rtifica	ate No. ²	Signature :	
		Name:	consistership / form
		¥ = "	oprietorship/ firm:
	£	Address:	
		Registration No	o.:

 $^{^{1}}$. To be signed and verified by an accountant (other than an employee) as defined in the Explanation below sub-section (2) of section 288 of the Income-tax Act, 1961.

[Notification No. 58/2013/F. No. 149/119/2012-SO (TPL)]

J. SARAVANAN, Under Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide Notification No. S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended by the Income-tax (11th Amendment) Rules, 2013 vide Notification No. S.O. 2331(E), dated 1st August, 2013.

^{2.} Certificate number is an internal number to be given by the Accountant.

^{*} Delete whichever is not applicable. ".